न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 34 / 2022 **दायर दिनांकः 16.03.2022**

उनवान

1. मोतीलाल पुत्र श्योजी जाति बंजारा निवासी प्रेमपुरा तहसील अटरू हाल मुकाम बोरदा तह. किशनगंज जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. दांखा पुत्री श्योजी पत्नि रघुनाथ जाति बंजारा हाल निवासी घट्टा तहसील किशनगंज जिला बारां राज0।
2. नाथी पुत्री श्योजी पत्नि हीरालाल जाति बंजारा हाल निवासी नियाना ग्रिड बारां जिला बारां राज0।
3. सुन्दर पुत्री श्योजी पत्नि रघुनाथ जाति बंजारा हाल निवासी नियाना ग्रिड बारां जिला बारां राज0।
4. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

वादी :— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री रामकरण सुमन।

आदेश दिनाकः 07 / 04 / 2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के अनुसार ग्राम एवं माल चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 146 के ख0नं0 1939 रकबा 0.35 है0 आराजी कुल किता 1 कुल रकबा 0.35 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादी

क्रम 1 ता 3 तथा उनकी माता धन्नी उर्फ घन्नी के दर्ज खाता चली आ रही थी। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की माता का स्वर्गवास दिनांक 20.11.2017 को हो गया है लेकिन वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की माता का नाम राजस्व खाते में धन्नी पत्नि श्योजी दर्ज चला आ रहा होने से तथा मृत्यु प्रमाण पत्र घन्नी पत्नि श्योजी होने से पटवारी हल्का ने उसका नाम हटाने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने वादी के पक्ष में पंजीकृत हकत्याग कर रखा है। इस तरह से वादी वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि का खातेदार घोषित होकर राजस्व रिकार्ड में अेंकन करवाने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 दिनांक 15.03.2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू के यहां माता का नाम खाते से पृथक कर तथा हकत्याग के आधार पर वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि वादी के दर्ज खाता किये जाने का निवेदन किया तो श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू ने माता का नाम खाते में धन्नी व मृत्यु प्रमाण पत्र में घन्नी होने से सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने की हिदायत दी। इस वजह से माननीय न्यायालय में यह वाद पेश है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी बनाया गया है। राजस्थान सरकार को धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस प्रेषित किया जाना आज्ञापक है लेकिन नोटिस की अवधि समाप्ति का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादीगण खाते में उनका नाम दर्ज होने से रहन बेचान कर देगें जिससे वादी को अनेकानेक विवादों में उलझना पडेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी। इसलिए मामला आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80(2) सी.पी.सी. का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की इजाजत से वाद पेश है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 15.03.2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब द्वारा खाते से माता का नाम हटाने से एवं हकत्याग का नामन्तरण दर्ज करने से मना करने पर व न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम चारपुरा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है। अतः माननीय न्यायालय में दावा पेश कर वादी निवेदन करता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की सादिर फरमाई जाए।

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी आराजी ग्राम एवं माल चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 146 के ख0नं0 1939 का रकबा 0.35 है0 आराजी कुल किता 1 का रकबा 0.35 है0 का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है।

(ब) प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाए की वह चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 146 के ख0नं0 1939 का रकबा 0.35 है0 आराजी कुल किता 1 का रकबा 0.35 है0 भूमि पर वादी के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियों से करवावे।

(स) वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

2. रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर कथन किया गया कि मुताबिक जमाबंदी संवत 2073–2076 के अनुसार ग्राम चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 146 के ख0नं0 1939 का रकबा 0.35 है0 आराजी कुल किता 1 का रकबा 0.35 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 तथा उनकी माता धन्नी उर्फ घन्नी के दर्ज खाता चली आ रही थी। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की माता का स्वर्गवास दिनांक 20.11.2017 को हो गया है लेकिन वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की माता का नाम राजस्व खात में धन्नी पत्नि श्योजी दर्ज चला आ रहा होने से तथा मृत्यु प्रमाण पत्र घन्नी पत्नि श्योजी होने से पटवारी हल्का ने उसका नाम हटाने से इनकार कर दिया । प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने वादी के पक्ष में पंजीकृत हकत्याग कर रखा है। इस तरह से वादी को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि का खातेदार घोषित किये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को कोई आपत्ति नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः माननीय न्यायालय में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाद

पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि को मुताबिक राजीनामा वादी के दर्ज खाता किया जाकर प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का खाते से नाम पृथक किये जाने के आदेश करने की कृपा करें।

3. राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान श्री भगवान स्वरूप मंगल एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की पहचान श्री रामकरण सुमन एड0 द्वारा की गई। राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम एवं माल चारपुरा तहसील अटरू की जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 के अनुसार खाता संख्या 146 के ख0नं0 1939 रकबा 0.35 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 तथा उनकी माता धन्नी पत्नि श्योजी जाति बंजारा के सहखाते दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा द्वारा अपने हिस्से की आराजी का अपने भाई मोतीलाल पुत्र श्योजी के पक्ष में हक त्याग जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 22.05.2018 करवा दिया जा चुका है (हकत्याग पत्र संलग्न) तथा वादी की मां सहखातेदार धन्नी की मृत्यु हो चुकी है। सहवन से या लिपिकीय त्रुटि के कारण मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते समय धन्नी पत्नि श्योजी जाति बंजारा के स्थान पर घन्नी पत्नि श्योजी जाति बंजारा दर्ज हो गया। उक्त लिपीकीय त्रुटि को संशोधित किया जाना न्यायोचित है। मृतक खातेदार धन्नी पत्नि श्योजी जाति बंजारा की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसके वारीसानों–वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का हक व अधिकार है। राजीनामा दिनांक 30.03.2022 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 ने अपनी मृतक मां धन्नी पत्नि श्योजी जाति बंजारा के दर्ज हिस्सा 1/5 में विरासत से प्राप्त होने वाले अपने हिस्से को आपसी सहमति से वादी के पक्ष में हकत्याग किया गया है। अतः मृतका धन्नी बाई पत्नि स्व0 श्योजी जाति बंजारा के दर्ज हिस्सा 1/5 के स्थान पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर उक्त सम्पूर्ण आराजी वादी के खाते दर्ज करने हेतु चाहा गया अनुतोष स्वीकार होने वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आपसी सहमति से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 146 के ख0नं0 1939 रकबा 0.35 है0 भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 34 / 2022

उनवान

1. मोतीलाल पुत्र श्योजी जाति बंजारा निवासी प्रेमपुरा तहसील अटरू हाल मुकाम बोरदा तह. किशनगंज जिला बारां राज0।

वादी

बनाम

1. दांखा पुत्री श्योजी पत्नि रघुनाथ जाति बंजारा हाल निवासी घट्टा तहसील किशनगंज जिला बारां राज0।
2. नाथी पुत्री श्योजी पत्नि हीरालाल जाति बंजारा हाल निवासी नियाना ग्रिड बारां जिला बारां राज0।
3. सुन्दर पुत्री श्योजी पत्नि रघुनाथ जाति बंजारा हाल निवासी नियाना ग्रिड बारां जिला बारां राज0।
4. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री रामकरण सुमन।

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी आराजी ग्राम एवं माल चारपुरा तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 146 के ख0नं0 1939 रकबा 0.35 है0 भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

तहसीलदार अटरू को आदेशित किया जाता है उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 07.04.2022 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)